न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी भास्कर मिश्र)

दांडिक प्रकरण क्रमांक 1676/2022
अपराध क्रमांक 239/2022
आरक्षी केन्द्र कांकेर
संस्थित दिनांक 29/09/2022

छत्तीसगढ राज्य ----अभियोजन

॥विरुद्ध॥

टुमेश जैन ----अभियुक्त

॥निर्णय दिनांक **13.02.2025**॥

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
01	निर्णय दिनांक	02
02	अधिवक्ताओं की उपस्थिति	02
03	आरोप	03
04	स्वीकृत तथ्य	03
05	अभियोजन कहानी	04 से 06
06	बचाव पक्ष का विवरण	--
07	अभियोजन का तर्क	--
08	बचाव पक्ष का तर्क	--
09	कारण एवं निष्कर्ष	06 से 09
10	दण्डादेश	--
11	अभिरक्षा की अवधि एवं मुजरा की गयी अवधि	--
12	सम्पत्ति निराकरण संबंधी आदेश	09
13	क्षतिपूर्ति आदेश	--
14	धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण का प्रमाण पत्र	10
15	सजा वारंट	--
16	निर्णय की प्रतिलिपि संबंधी आदेश	--

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी भास्कर मिश्र)

दांडिक प्रकरण क्रमांक 1676/2022
अपराध क्रमांक 239/2022
आरक्षी केन्द्र कांकेर
संस्थित दिनांक 29/09/2022

छत्तीसगढ राज्य
आरक्षी केन्द्र कांकेर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. ----अभियोजन
(छ.ग. राज्य द्वारा सुश्री रीना देहारी ए.डी.पी.ओ.)

॥विरुद्ध॥

टुमेश जैन पिता नकुल जैन
उम्र 30 वर्ष
निवासी सिदेसर, थाना कांकेर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) ----अभियुक्त
(अभियुक्त की ओर से श्री धनराज जैन अधिवक्ता)

घटना दिनांक	07.08.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	07.08.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	29.09.2022
आरोप विरचित किये जाने का दिनांक	21.11.2022
विचारण प्रांरभ दिनांक	20.01.2023
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने का दिनांक	13.02.2025
निर्णय दिनांक	13.02.2025
दण्डादेश आदेश का दिनांक यदि हो	--

अभियुक्त का विवरण

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने की तिथि	आरोप अंतर्गत धारा	दोषसिद्ध या दोषमुक्ति	दण्डादेश	मुजरा की जाने वाली न्यायिक अभिरक्षा अवधि
1	टुमेश जैन	07.08.22	07.08.22	धारा 34(1)(क),36(सी), 34(1)(ख) छ.ग. आब. अधि.	दोषमुक्त	--	--

---

॥निर्णय॥

(आज दिनांक 13/02/2025 को घोषित किया गया।)

01– अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(1)(क), 36(सी), 34(1)(ख) छ.ग. आबकारी अधिनियम के तहत यह आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 07.08.2022 को समय लगभग 19.55 बजे स्थान ग्राम सिदेसर अपने घर आंगन के सामने अंतर्गत थाना कांकेर में अपने आधिपत्य में एक लीटर वाले दो बॉटल में भरा हुआ देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब को अपने कब्जे मे विक्रय हेतु रखा एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराया जो कि मदिरा सेवन हेतु अनुज्ञप्त परिसर नहीं है में सामान्य मदिरा पान–गृह का संचालन किया एवं अवैध रुप से देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब को विक्रय किया ।

02– प्रकरण मे कोई स्वीकृत तथ्य नही हैं।

03– अभियोजन का प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार कि थाना कांकेर मे

पदस्थ उपनिरीक्षक भागवत चालकी को दिनांक 07–08–2022 को मुखबीर सूचना मिली कि ग्राम सिदेसर का एक व्यक्ति अपने घर आंगन के सामने लोगों को शराब पीला रहा है कि सूचना की तस्दीक पर गवाह अशोक नेताम, महेन्द्र जैन को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर समक्ष गवाहों के मुखबीर सूचना पंचनामा प्रपी–01 एवं 02 की कार्यवाही किया गया, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है । गवाहों को कार्यवाही में सहयोग करने बाबत् नोटिस धारा 160 दप्रसं के तहत दिया गया जो कि प्रपी–08 है, जिसके स से स भाग एवं द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर है । कार्यवाही हेतु हमराह स्टॉफ आरक्षक 445 के साथ मुखबीर के बताये अनुसार स्थल पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया । मौके पर पुलिस को आता देख कुछ लोग इधर उधर भागने लगे एक व्यक्ति मिला जिसे पकड़कर नाम पता पूछे जाने पर अपना नाम टुमेश जैन निवासी सिदेसर का होना बताया । मौके पर आरोपी तलाशी लिये जाने पर कब्जे से 1–1 लीटर क्षमता वाले दो प्लास्टिक बॉटल में जिस पर कीनले लिखा हुआ है देशी हाथ भट्टी महुआ शराब 100–100/–रुपये कुल 200/–रुपये बिक्री रकम तलाशी दौरान समक्ष गवाहो के बरामद कर बरामदगी पंचनामा प्रपी–03 की कार्यवाही किया गया, जिसके स से स भाग पर उसके एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है । मौके पर आरोपी के कब्जे से समक्ष गवाहो के 1–1 लीटर क्षमता वाले दो प्लास्टिक बॉटल में जिस पर कीनले लिखा हुआ है देशी हाथ भट्टी महुआ शराब 100–100/–रुपये कुल 200/–रुपये बिक्री रकम जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–06 तैयार किया गया, जिसके स से स भाग पर उसके एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है । मौके पर आरोपी टुमेश जैन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/2022 अंतर्गत धारा 34(1)(क)आबकारी अधिनियम के तहत देहाती नालसी स्थान ग्राम सिदेसर आरोपी के घर आंगन के सामने तैयार किया गया, जो कि प्रपी–10 है ।आरोपी

के कब्जे से बरामद महुआ शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने बाबत् नोटिस धारा 91 दप्रसं आरोपी को दिया जो कि प्रपी–11 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके एवं ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है । उक्त नोटिस में आरोपी के द्वारा मेरे पास शराब बेचने का कोई कागजात नही है उल्लेख करते हुए कोई दस्तोवज पेश नही किया गया । आरोपी के कब्जे से बरामद महुआ शराब को समक्ष गवाहों के एक लीटर क्षमता वाले पानी बॉटल में नापे जाने पर दो लीटर पाये जाने पर नापतौल पंचनामा प्रपी–04 की कार्यवाही किया गया, जिसके स से स भाग पर उसके एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है । आरोपी के कब्जे से बरामद महुआ शराब को समक्ष गवाहों के सील लगाकर सीलबंद पंचनामा प्रपी–05 की कार्यवाही किया गया, जिसके स से स भाग पर उसके एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है । आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर समक्ष गवाहों के गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार प्रपी–07 तैयार किया गया, जिसके स से स भाग पर उसके एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है । अपराध जमानती होने पर आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रपी–12 तैयार किया गया, जिसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है । विवेचना के दौरान गवाह महेन्द्र जैन, अशोक नेताम के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया । आरोपी के कब्जे से बरामद महुआ शराब का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदाय करने बाबत प्रतिवेदन आबकारी उपनिरीक्षक कार्यालय कांकेर को दिया गया । जो कि प्रपी–13 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं ब से ब भाग पर सील मुहर है । प्रकरण में रवानगी वापसी का रोजनामचा सान्हा प्रपी–14 संलग्न है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । प्रकरण में जप्तमाल रजिस्टर की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है । वापस थाना आकर आरोपी टुमेश जैन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट

प्रपी–15 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(क), 36(सी), 34(1)(ख) छ.ग. आबकारी अधिनियम का पाये जाने से अभियुक्त के विरूद्ध थाना कांकेर के अपराध 239/2022 पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया हैं।

04– अभियुक्त को कंडिका 1 के अनुसार अपराध विवरण विरचित कर उसकी विशिष्टिया पढ़कर सुनाए एवं समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा जुर्म करना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किये गये परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताकर अपने बचाव में साक्ष्य पेश नही करना व्यक्त किया ।

05– अभियोजन की ओर से साक्षी अशोक नेताम (अ.सा.1), महेन्द्र जैन (अ.सा.2), भागवत चालकी (अ.सा.3) एवं प्रदुमन नेताम (अ.सा.4) का परीक्षण कराया गया है तथा बचाव पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी का साक्ष्य नही कराया गया हैं ।

06– **<u>प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं कि</u>**

01– क्या अभियुक्त ने दिनांक 07.08.2022 को समय लगभग 19.55 बजे स्थान ग्राम सिदेसर अपने घर आंगन के सामने अंतर्गत थाना कांकेर में अपने आधिपत्य में एक लीटर वाले दो बॉटल में भरा हुआ देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब को अपने कब्जे मे विक्रय हेतु रखा ?

02– क्या अभियुक्त ने शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराया जो कि मदिरा सेवन हेतु अनुज्ञप्त परिसर नहीं है में सामान्य मदिरा पान–गृह का संचालन किया ?

03– क्या अभियुक्त ने अवैध रुप से देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब को विक्रय किया ?

॥विवेचना एवं निष्कर्ष॥

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 पर निष्कर्ष एवं आधार

07– प्रकरण मे सर्वप्रथम देखना यह कि क्या जप्तशुदा द्रव्य हाथ भटटी महुआ शराब थी ? विवेचना अधिकारी भागवत चालकी (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया कि उसने प्रकरण मे जप्तशुदा मदिरा को परीक्षण कराने के लिये आबकारी वृत्त कांकेर को प्र.पी. 13 के पत्र के माध्यम से भेजा था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण मे मदिरा परीक्षणकर्ता आबकारी उपनिरीक्षक प्रदुमन नेताम (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण मे बताया कि उसने दिनांक 12.08.2022 को थाना कांकेर के अपराध क्रमांक 239/2022 मे जप्तशुदा तरल द्रव्य का परीक्षण किया था। इस साक्षी ने परीक्षण उपरांत मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी. 15 दिया है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने उक्त तरल द्रव्य को परीक्षण उपरांत अनुभव एवं विभागीय परीक्षण के आधार पर जांच मे देशी मदिरा प्लेन शराब होना बताया हैं। बचाव पक्ष द्वारा जप्तशुदा तरल द्रव्य को देशी मदिरा प्लेन शराब न होने के संबंध मे कोई चुनौती नही दी गयी हैं। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि जप्तशुदा तरल द्रव्य देशी मदिरा प्लेन शराब थी ।

08– प्रकरण मे अब देखना यह कि क्या उक्त शराब अभियुक्त के आधिपत्य से विधिवत् जप्त किया गया था ? अभियोजन के अनुसार साक्षी अशोक नेताम (अ.सा.1), महेन्द्र जैन (अ.सा.2) जप्ती एवं गिरफतारी कार्यवाही तथा अन्य कार्यवाही के साक्षी हैं। उक्त दोनो साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नही किया है तथा उक्त दोनो साक्षी ने अपने समक्ष अभियुक्त से जप्ती पत्रक प्र.पी.6 के अनुसार कोई भी संपत्ति जप्त नही होने का कथन किया है । दोनो साक्षी के द्वारा मुखबीर सूचना पंचनामा प्र.पी. 1, मुखबीर पंचनामा प्र.पी. 2, तलाशी बरामदगी पंचनामा प्र.पी. 3, नापतौल पंचनामा प्र.पी. 4, सीलबंद

पंचनामा प्र.पी. 5, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 6, गिरफतारी पत्रक प्र.पी. 7, धारा 160 दप्रसं की नोटिस प्र.पी. 8 की कार्यवाही पुलिस वालो के द्वारा किये जाने से इंकार किया हैं। अभियोजन द्वारा उक्त दोनो साक्षी से सूचक प्रकृति के प्रश्न पूछे जाने पर उन्होने अभियोजन के कार्यवाहियों का समर्थन नही किया हैं। इस प्रकार उक्त दोनो साक्षी पक्षद्रोही साक्षी हैं और उन्होने अभियुक्त के विरुद्ध कोई कथन नही किया हैं ।

09– प्रकरण मे चूंकि जप्ती एवं अन्य कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नही किया है, ऐसी स्थिति में विवेचना अधिकारी के साक्ष्य का सुक्ष्म मुल्यांकन किया जाना आवश्यक हैं। इस संबंध मे विवेचना अधिकारी भागवत चालकी (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी के अनुरुप ही कथन किया है । इसी साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 मे यह स्वीकार किया है कि आरोपी के मकान स्वामित्व के संबंध में कोई भू–अभिलेख प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है । इसी साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी को मकान तलाशी की नोटिस नहीं दिया है । इसी साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने साक्षियों को मौके पर उपस्थित होने के लिये नोटिस नहीं दिया है ।

10– अभियोजन के अनुसार प्रकरण में जप्तशुदा द्रव्य को आरोपी के मकान से जप्तकर मदिरा पान–गृह का संचालन कर शराब विक्रय किया जाना बताया गया है परंतु विवेचक के कथनों का समर्थन प्रकरण के स्वतंत्र साक्षियों ने नही किया है और न ही जप्ती कार्यवाही के संबंध मे अभियोजन का समर्थन किया हैं। विवेचक के द्वारा आरोपी का मकान आरोपी के एकाकी स्वामित्व होने के संबंध मे कोई भी राजस्व अभिलेख प्रकरण मे प्रस्तुत नही किया हैं। विवेचना अधिकारी प्रकरण मे स्वयं प्रार्थी भी है और उसी के द्वारा ही प्रकरण मे संपूर्ण विवेचना की गयी हैं। ऐसी स्थिति में विवेचक के कथन के आधार पर

जप्ती की कार्यवाही विधिवत प्रमाणित नही मानी जा सकती है तथा संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध विचारणीय प्रश्न प्रमाणित नही पाया जाता हैं । फलस्वरुप विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं मे दिया जाता हैं। फलतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 34(1)(क), 36(सी), 34(1)(ख) छ.ग. आबकारी अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता हैं।

11– अभियुक्त का नियमित मुचलका भारमुक्त किया जाता हैं। अभियुक्त के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अनुपालन मे प्रस्तुत बंधपत्र निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रवृत्त रहेगा।

12– प्रकरण मे जप्तशुदा द्रव्य एवं लाहन अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा मे विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए नष्ट कर निराकृत किया जावे। प्रकरण मे जप्त रकम 200/– रुपये को अपील अवधि पश्चात शासन के पक्ष में राजसात किया जावे। अपील होने की दशा मे माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्त सम्पत्ति का व्ययन किया जावे।

13– अभियुक्त के द्वारा इस प्रकरण मे बितायी गयी अभिरक्षा अवधि के संबंध मे पृथक से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत निरोध तालिका बनायी जावे जो कि निर्णय का भाग होगा ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित ।
सही/–
(भास्कर मिश्र)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकेर

मेरे निर्देशन मे टंकित ।
सही/–
(भास्कर मिश्र)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकेर

अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत अवधि का प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं.

अभियुक्त का नाम	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	कुल अवधि
टुमेश जैन	निरंक।	निरंक।	निरंक।

सही/–
(भास्कर मिश्र)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकेर

॥प्रमाण पत्र॥

मैं यह पुष्टि करती हूं कि इसमे निहित अंतर्वस्तु वही है जो मूल निर्णय मे हैं।

––ममता मरकाम, स्टेनोग्राफर